भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2516

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (शक)

असम में उद्योग संबद्ध कौशल विकास

†2516. श्री फणी भूषण चौधरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में तेल और गैस, पेट्रो-रसायन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, संभारतंत्र, पर्यटन, चाय और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख उद्योगों की श्रमबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन एजेंसियों, उद्योग साझेदारों और शामिल क्षेत्रों सहित उक्त कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2016 से अब तक असम में उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित, प्रमाणित और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने असम में कौशल अंतर और भविष्य की श्रमबल आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के जरिए कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, चाय और खाद्य प्रसंस्करण सहित भविष्य के लिए तैयार क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम का उद्देश्य देशभर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य उद्देश्य 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के गैर-साक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजनों और अन्य योग्य व्यक्तियों के लिए आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम प्रशिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए कई व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

असम में वर्ष 2016 से एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षित/नामांकित और प्रमाणित उम्मीदवारों का क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

एमएसडीई की स्कीमें मांग आधारित हैं और इन स्कीमों के तहत प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भागीदारों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके या आवश्यकतानुसार स्थापित किए जाते हैं। दिनांक 30.06.2026 तक असम में एमएसडीई की स्कीमों के तहत स्थापित या कार्यरत प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्र (एसटीटी+एसपी)*	जेएसएस केन्द्र	(एनएपीएस) नैप्स प्रतिष्ठान	आईटीआई	
				सरकार	निजी.
असम	864	21	1,049	31	16

* दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की योजनाओं में, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक क्रियान्वित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रथम तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत नियोजन पर नजर रखी गई थी। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के अंतर्गत, असम में 67,000 अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया है। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के तहत असम में 0.67 लाख उम्मीदवारों को नियोजित किया गया है। योजना के वर्तमान संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 4.0 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) भी शामिल है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने हेतु जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। डीएसडीपी में रोजगार के अवसरों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ जिले में कौशलीकरण की मांग की पहचान की जाती है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण किया जाता है। संबंधित राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) इन जिला कौशल विकास स्कीमों (डीएसडीपी) को संकलित करके राज्य कौशल विकास योजना (एसएसडीपी) तैयार करता है।

वर्ष 2024-25 के लिए असम की राज्य कौशल विकास योजना (एसएसडीपी) में 35 अन्य राज्य कौशल विकास स्कीमों (डीएसडीपी) सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का संकलन किया गया है और इसमें कई क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। एसएसडीपी में कौशल विकास के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है, जिसमें मांग-आपूर्ति विश्लेषण, उद्योग सहयोग और रोजगार सृजन पहल शामिल हैं। इसके अलावा, असम कौशल विकास मिशन (एएसडीएम) द्वारा कराए गए 'सूक्ष्म-स्तरीय कौशल अंतर अध्ययन' में असम के सभी जिलों में कार्यबल की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, जनसांख्यिकीय बदलाव और क्षेत्रीय चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के तहत असम में कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए पहचाने गए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, थोक और खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, चाय, वस्त्र, बिजली, गैस, वातानुकूलन, जल आपूर्ति; खाद्य उत्पाद; सूचना और संचार, पर्यटन और आतिथ्य आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने और कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने के लिए, 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिनका नेतृत्व संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणी करते हैं। एसएससी द्वारा समय-समय पर कौशल अंतर अध्ययन किए जाते हैं, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं।

अनुबंध

'असम में उद्योग-संबद्ध कौशल विकास' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2516 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

असम में वर्ष 2016 से एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षित/नामांकित और प्रमाणित उम्मीदवारों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

पीएमकेवाई

क्षेत्र	प्रशिक्षित	प्रमाणित
तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स,	9,763	8,224
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स	63,753	47,104
नवीकरणीय ऊर्जा	479	36
रसद (लॉजिस्टिक्स)	46,686	38,967
पर्यटन	52,105	37,327
चाय और खाद्य प्रसंस्करण	29,652	21,304

जेएसएस

क्षेत्र	प्रशिक्षित	प्रमाणित
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स	2980	2920
रसद (लॉजिस्टिक्स)	40	40
पर्यटन	180	80
चाय और खाद्य प्रसंस्करण	7254	6911

नैप्स

क्षेत्र	नियोजित	प्रमाणित
तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स,	133	2
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स	406	148
नवीकरणीय ऊर्जा	2,034	767
रसद (लॉजिस्टिक्स)	1,980	72
पर्यटन	1,665	107
चाय और खाद्य प्रसंस्करण	3,686	24

सीटीएस/आईटीआई

क्षेत्र	नामांकित	प्रमाणित
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स	903	567
नवीकरणीय ऊर्जा	131	63
पर्यटन	7	5
